भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 736
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) गांव

†736. श्रीमती बाग मितालीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल आबादी वाले गांवों की संख्या संबंधी आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ख) क्या मणिपुर में तीन प्रतिशत से कम ओडीएफ प्लस गांव हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): जी, नहीं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल आबादी वाले गांवों की संख्या का डेटा नहीं रखता है, जिन्हें खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

(ख): जी, नहीं। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण [एसबीएम (जी)] चरण-II के तहत, एसबीएम (जी) चरण-II कि एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्य द्वारा दर्ज डेटा के अनुसार, चिह्नित 2,567 गांवों में से **78 गांवों**, अर्थात् **3.03% गांवों** को 01.12.2025 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित किया गया है। 26 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया है।

*****